353

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. निगरानी – /2015 निगरानी 1718-I-15

रामभिलन तिवारी पुत्र श्री गुलजारी तिवारी, निवासी – ग्राम बुरैया तह व जिला छतरपुर म.प्र. .... आवेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 29-6-15 को प्रस्तुत

29-6-15 क्लर्क ऑफ कोर्ट

विरूद्ध

1. गुलजारी पुत्र श्री भवानी तिवारी निवासी – ग्राम गोहानि तह. लवकुश नगर, हाल निवासी – ग्राम बुरैया तह व जिला छतरपुर म.प्र.

2. श्रीमती दमयंती बाजपेयी पत्नी श्री तरूण बाजपेयी निवासी –ग्राम शांति कॉलोनी छतरपुर ......अनावेदक

Pradeep Shrivastav Advocate

निगरानी (अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रा. संहिता) विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायलीन प्रकरण क्र. 46/अपील/अ–19/2010–11 के विरूद्ध जिसके द्वारा नोटिस दिनांक 05.06.15

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

1. यह है कि, आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के यहां 41/अ/19/82–83 में पारित आदेश दिनांक 26.07.83 के विरूरद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा विवादित खसरा क्रमांक 155/4 रकवा 1.602 हैक्टेयर, खसरा नं. 155/4 एवं 152 अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में ~~बिन्स्थापन~~ व्यवस्थापन किया गया था।

2. यह कि, आवेदक ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निम्न आपत्ति उठाई बटन ग्रहिका। ग्राम गुहानी तह. लोढ़ी का निवासी हैं विवादित भूमि पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-1718-एक/2015 जिला- छतरपुर

राममिलन तिवारी विरूद्ध गुलजारी व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला-छतरपुर के प्र. क्र. 46/अपील/अ-19/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 05-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-06-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

09/1/19

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
07/1/19